अध्याय-I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा.क्षे.उ. की स्थापना व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए की जाती हैं। बिहार में राज्य सा.क्षे.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वहीन स्थान रखते हैं। सितम्बर 2010 तक अंतिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 2009–10 में ₹ 2508.83 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त वर्ष 2009–10 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 1.62 प्रतिशत था। बिहार राज्य की सा.क्षे.उ. की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 2009–10 के लिये कुल ₹ 1199.09 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2010 को उन्होनें 0.22 लाख[1] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था। राज्य सा.क्षे.उ. में सात प्रमुख विभागीय उपक्रम (डी.यू.) सम्मिलित नहीं हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है, परन्तु सरकारी विभागों के अंग हैं। इन डी.यू. से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण राज्य की सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

1.2 निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2010 को 65 सा.क्षे.उ. थे एवं इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध नहीं थी।

सा.क्षे.उ. का प्रकार	कार्यशील सा.क्षे.उ.	अकार्यशील सा.क्षे.उ.[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	21	40	61
सांविधिक निगमें	4	–	4
योग	25	40	65

1.3 वर्ष 2009–10 की अवधि में दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित हैं। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी प्रदत अंशपूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती हैं। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी प्रदत अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों, द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती हैं (मानित सरकारी कम्पनी)।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी

---

1 35 सा.क्षे.उ. के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।
2 अकार्यरत सा.क्षे.उ. है जिन्होने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।
3 619–बी कम्पनियाँ सहित।

नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सीएजी के द्वारा भी की जाती है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। चार सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भंडारण निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा सनदी अंकेक्षकों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश

1.7 31 मार्च 2010 को, 65 सा.क्षे.उ. (619–बी कम्पनियाँ सहित) में ₹ 9622.02 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण निम्न हैं।

(राशि: ₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगमें			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील सा.क्षे.उ.	214.92	496.56	711.48	185.53	7993.06	8178.59	8890.07
अकार्यशील सा.क्षे.उ.	183.97	547.98	731.95	–	–	–	731.95
योग	398.89	1044.54	1443.43	185.53	7993.06	8178.59	9622.02

राज्य सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

1.8 31 मार्च 2010 तक राजकीय सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 92.39 प्रतिशत कार्यशील सा.क्षे.उ. में तथा शेष 7.61 प्रतिशत अकार्यशील सा.क्षे.उ. में था। इस कुल निवेश का 6.07 प्रतिशत पूँजी के लिये तथा 93.93 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। निवेश 2004–05 के ₹ 5420.08 करोड़ से 77.53 प्रतिशत बढ़कर 2009–10 में ₹ 9622.02 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे आलेख में प्रदर्शित हैं।

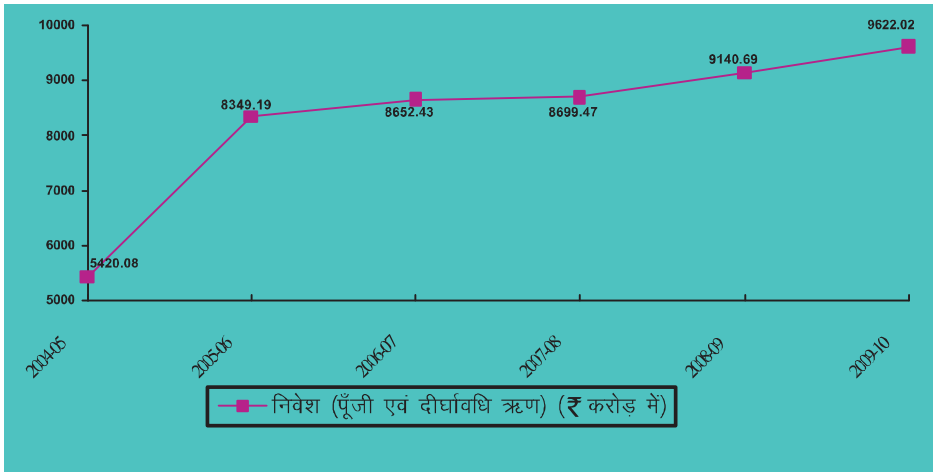

1.9 31 मार्च 2005 तथा 31 मार्च 2010 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दी गयी हैं। विगत छः वर्षों में सा.क्षे.उ. में निवेश का मुख्य जोर ऊर्जा क्षेत्र में था, जिसका प्रतिशत अंश कुल निवेश का 2004–05 के 71.79 प्रतिशत से बढ़कर 2009–10 में 80.86 प्रतिशत हो गया। ऊर्जा क्षेत्र में कुल वृद्धि 2004–05 की तुलना में 2009–10 में 99.95 प्रतिशत था। यद्यपि सभी निवेश के आलोक में वर्ष 2009–10 में दूसरें क्षेत्रों में तुलनात्मक कमी थी।

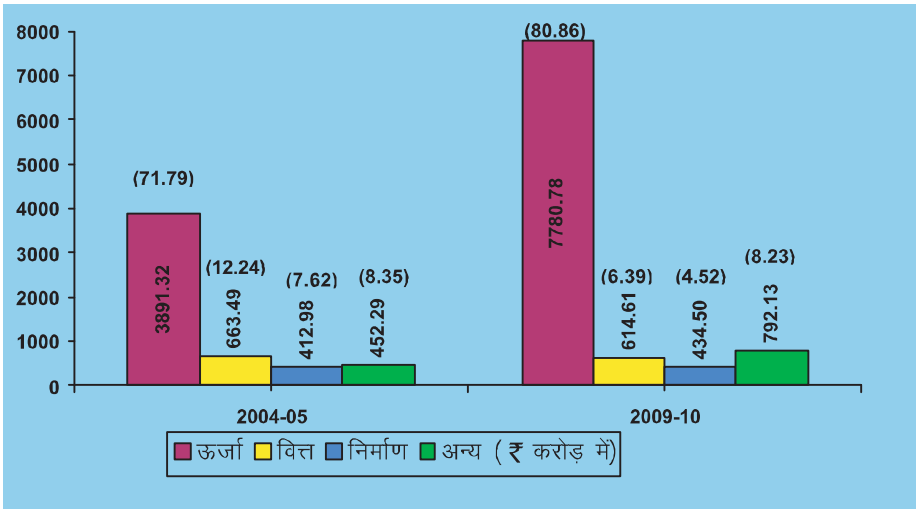

(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण

1.10 राज्य सा.क्षे.उ. के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थसाहाय्य, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, अपलिखित ऋणों, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी में बजटीय बहिर्गमन का विवरण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है। 2009–10 को समाप्त हुए तीन वर्षों का सारांशीकृत विवरण नीचे दिया गया है :-

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2007-08		2008-09		2009-10	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	2	4.05	3	1.56	3	26.00
2.	बजट से दिये गये ऋण	2	293.11	4	469.63	3	770.36
3.	प्राप्त अनुदान/अर्थसाहाय्य	1	23.00	3	735.74	3	873.79
4.	कुल बहिर्गमन[4]	5	320.16	9	1206.93	8	1670.15
5.	अपलिखित ब्याज/दांडिक ब्याज	1	11.56	1	11.56	1	0.12
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	3	71.79	2	104.47	–	–
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	–	–	1	157.51	1	44.15

4 वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन कम्पनियों की वास्तविक संख्या के सम्बन्ध में है ।

1.11 पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है :-

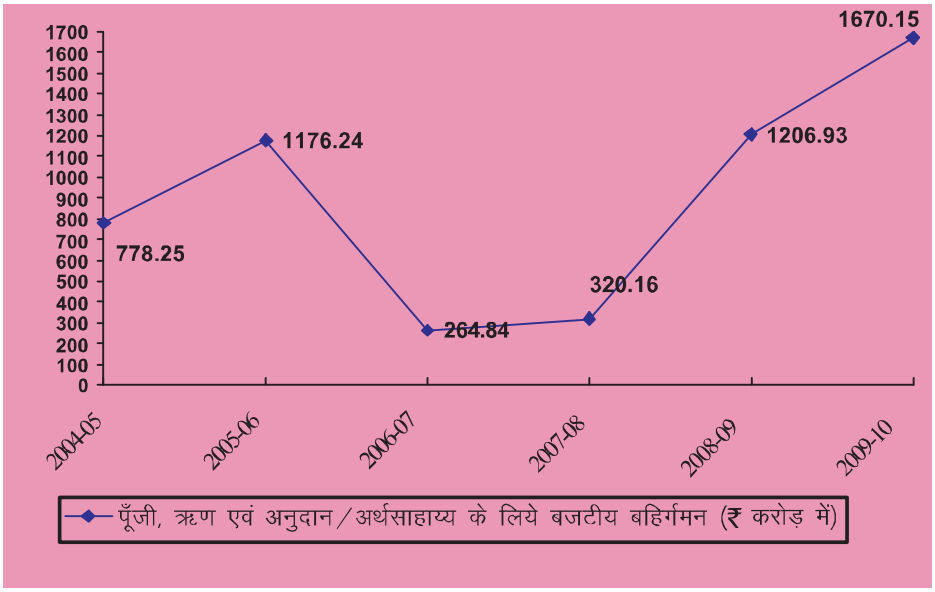

राज्य सरकार द्वारा अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों के रूप में 2004–05 से 2009–10 के वर्षों में बजटीय समर्थन के विविधतापूर्ण रूख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2007–08 के ₹ 320.16 करोड़ से बढ़कर 2009–10 में ₹ 1670.15 करोड़ हो गया। वर्ष 2009–10 में तीन[5] (दो कार्यशील एवं एक अकार्यशील) सा.क्षे.उ. ने कुल ₹ 873.79 करोड़ का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया जिसमें से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य सरकार से ₹ 840.00 करोड़ का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया । वर्ष के अंत में, पाँच[6] सा.क्षे.उ. के विरूद्ध ऋणों की प्रत्याभूतियों के सम्बन्ध में कुल ₹ 156.21 करोड़ बकाया थे। दो[7] कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा 1982–83 से प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 37.58 लाख देय थे।

वित्तीय लेखों के साथ समाधान

1.12 राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2010 की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :-

(राशि : ₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखों* के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	446.50	477.25	30.75
ऋण	13034.67	8511.87	4522.80
प्रत्याभूतियाँ	714.97	156.21	558.76

[5] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विधुत बोर्ड, बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि0।

[6] बिहार राज्य मत्सय विकास निगम लि0, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि0, बिहार राज्य विधुत बोर्ड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

[7] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

* यह सूचना उन 38 सा.क्षे.उ. के सम्बन्ध मे है जिनका उल्लेख वित्त लेखों मे किया गया है।

1.13 हमने पाया कि यह अन्तर, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड को छोड़कर, जो कि एक नई स्थापित कम्पनी हैं, उन 42 सा.क्षे.उ., में था जिनमें राज्य सरकार का निवेश था। समाशोधन के विषय को मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव के पास ले जाया गया (मार्च 2010)। सरकार तथा सा.क्षे.उ. को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

सा.क्षे.उ. का कार्य–निष्पादन

1.14 सा.क्षे.उ. के वित्तीय परिणाम, कार्यशील सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम क्रमशः **परिशिष्ट 2, 5 एवं 6** में वर्णित हैं। सा.क्षे.उ. के आवर्त तथा राज्य के जी.डी.पी. का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों की सीमा दर्शाता है। नीचे दी गयी सारणी में 2004–05 से 2009–10 की अवधि में कार्यशील सा.क्षे.उ. का आवर्त तथा राज्य के जी.डी.पी. का विवरण दिया गया है :-

(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
आवर्त[8]	1601.99	1202.49	1337.29	1587.96	1996.59	2508.83
राज्य का जी.डी.पी.[9]	73654	79382	99579	114616	142504	155051
राज्य के जी.डी.पी. का आवर्त प्रतिशत	2.18	1.51	1.34	1.39	1.40	1.62

राज्य सा.क्षे.उ. का आर्वत 2005–06 के बाद विगत पाँच वर्षो में वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2005–06 के बाद राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, परन्तु यह सा.क्षे.उ. के आवर्त में हुई प्रतिशत वृद्धि के अनुपातिक नहीं थी। राज्य सकल घरेलू उत्पाद पर राज्य सा.क्षे. उ. के आवर्त के प्रतिशत में 2005–06 के 1.51 प्रतिशत से 2009–10 में 1.62 प्रतिशत की सीमान्त वृद्धि देखी गई।

1.15 2004–05 से 2009–10 की अवधि में राज्य कार्यशील सा.क्षे.उ. के द्वारा वहन की गयी हानि नीचे बार चार्ट में दी गयी है :-

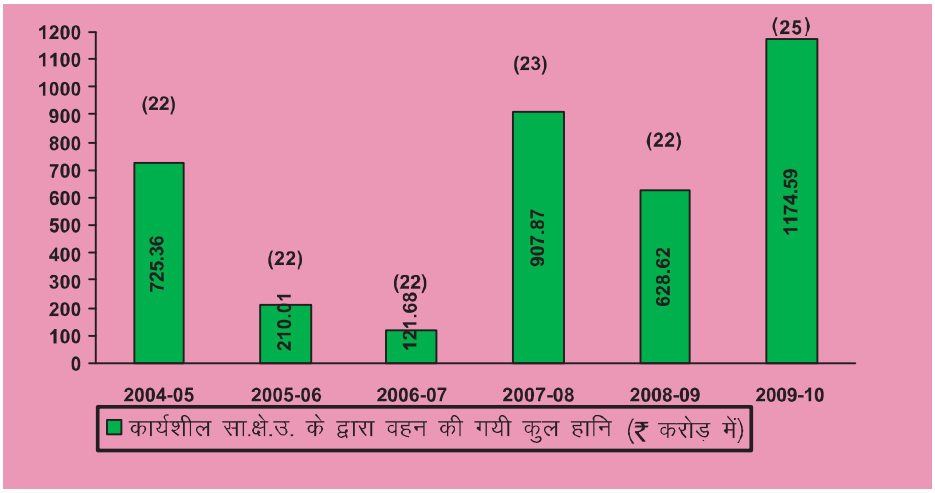

(कोष्ठक में आँकड़े सम्बन्धित वर्ष में कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या को दर्शाते हैं।)

[8] आवर्त 30 सितम्बर 2010 को अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार।

[9] राज्य जी.डी.पी. के आँकडे वर्त्तमान मूल्यों पर, 2007–08 (औपबंधिक), 2008–09 (त्वरित अनुमान) एवं 2009–10 (अग्रिम अनुमान)।

राज्य कार्यशील सा.क्षे.उ. ने सामूहिक रूप से निरंतर हानि वहन की जो कि 2004–05 में ₹ 725.36 करोड़ से बढकर 2009–10 में ₹ 1174.59 करोड़ हो गयी। 30 सितम्बर 2010 को अधतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 25 कार्यशील सा.क्षे.उ. मे से, आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 12.78 करोड़ का लाभ कमाया और 14 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1187.37 करोड़ की हानि वहन की। तीन[10] कम्पनियों ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 1.36 करोड़), एवं बिहार राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड (₹ 1.09 करोड़) मुख्य थे। ज्यादा हानि वहन करने वाले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 1102.28 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 55.74 करोड़) थे।

1.16 सा.क्षे.उ. की हानि के कारण मुख्यतः वित्तीय प्रबन्धन की कमी, अनुपयुक्त नियोजन, अमितव्ययी परिचालन तथा खराब पर्यवेक्षण थें। सीएजी के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 164.49 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 64.21 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा जो कि बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रणीय था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिया गया हैं :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	योग
शुद्ध हानि	907.87	628.62	1174.59	2711.08
सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानियाँ	26.68	104.60	33.21	164.49
निष्फलित निवेश	60.41	0.35	3.45	64.21

1.17 चूँकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी हानियाँ सा.क्षे.उ. के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं अतः वास्तविक नियन्त्रणीय हानि इससे कहीं ज्यादा होगी। अतः भविष्य में हानियों से बचने एवं इन सा.क्षे.उ. की प्रगति के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से शीघ्र एवं उपयुक्त कार्रवाई करने का निवेदन किया जाता है। सा.क्षे.उ. अपने दायित्व दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलंबी हो, उपरोक्त परिस्थिति राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकलाप में पेशेवरपन, जवाबदेही तथा पारदर्शिता की आवश्यकता इंगित करती हैं।

1.18 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड निम्नांकित हैं :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	शून्य	16.94	17.68	शून्य	7.44	शून्य#
ऋण	4796.29	7724.63	8012.25	8152.92	8614.53	9037.60
आवर्त[11]	1601.99	1202.49	1337.29	1587.96	1996.59	2508.83
ऋण/आवर्त अनुपात[12]	2.99:1	6.42:1	5.99:1	5.13:1	4.33:1	3.60:1
ब्याज का भुगतान	525.91	301.93	613.25	924.16	918.70	991.72
संचित हानियाँ	5165.94	1584.62	1686.94	2956.74	3593.15	4617.88

(आवर्त को छोड़कर, जो कार्यशील सा.क्षे.उ. का है, उपरोक्त आँकड़े समस्त सा.क्षे.उ. के हैं।)

---

10 बिहार राज्य स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम लि0, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि0 एवं बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0।

शून्य नियोजित पूँजी पर नकरात्मक प्रतिलाभ इंगित करता है।

11 कार्यरत सा.क्षे.उ. के द्वारा 30 सितम्बर 2010 को अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार।

12 ऋण/आवर्त अनुपात, आवर्त के ऋण से विभाजन को दर्शाता है।

1.19 30 सितम्बर 2010 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, सभी सा.क्षे.उ. में निवेशित पूँजी पर कुल प्रत्याय 2005–06 के 16.94 प्रतिशत से घटकर 2009–10 में 5.50 प्रतिशत हो गया। यद्धपि, ऋण/आवर्त अनुपात 2005–06 के 6.42:1 से घटकर 2009–10 में 3.60:1 हो गया, जो इन वर्षो में आवर्त में हुई आपेक्षिक वृद्धि के कारण क्रमशः कम हुए दबाव को दर्शाता है।

1.20 राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम लाभांश देना है। आठ सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 12.78 करोड़ का लाभ अर्जित किया परन्तु किसी भी सा.क्षे.उ. ने अब तक लाभांश घोषित नहीं किया हैं।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकायें

1.21 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दी गयी सारणी कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सितम्बर 2010 तक लेखों के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

क्रम संख्या	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या	22	23	22	23	25
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या	14	20	13	15	17
3.	लम्बित लेखों की संख्या	198	201	197	205	213
4.	प्रत्येक सा.क्षे.उ. का औसत बकाया (3/1)	9.00	8.74	8.95	8.91	8.52
5.	लम्बित लेखों वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	22	23	22	23	25
6.	लम्बित लेखों की सीमा (वर्ष)	1 से 22	1 से 19	1 से 19	1 से 20	1 से 21

1.22 चार सांविधिक निगमों सहित 25 कार्यशील सा.क्षे.उ. में से किसी भी कम्पनी/निगम ने 30 सितम्बर 2010 तक वर्ष 2009–10 के लिए अपने खातों का अंतिमीकरण नहीं किया था। 21 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के खाते एक से 21 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे और प्रति सा.क्षे.उ. औसत बकाया 2005–06 के 9 से सीमान्त रूप से घटकर 2009–10 में 8.52 हो गया था। लेखों के बकाये का कारण प्रबंधन/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखों की तैयारी/प्रमाणीकरण में विलम्ब, वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब, मानव संसाधन की कमी एवं निदेशक मंडल के सदस्यों का न होना, था।

1.23 इसके अतिरिक्त अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखों का अंतिमीकरण भी लंबित था। 40 अकार्यशील सा.क्षे.उ. में से सात समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 33 अकार्यशील सा. क्षे.उ. के 15 से 33 वर्ष के परास तक के लेखे बकाये थे।

1.24 जैसा कि **परिशिष्ट–4** में दिया गया हैं, राज्य सरकार ने 28 सा.क्षे.उ. में ₹ 3236.87 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 112.26 करोड़, ऋण : ₹ 1947.90 करोड़, अनुदान : ₹ 913.29 करोड़ तथा अन्य : ₹ 263.42 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखे अन्तिमीकृत नहीं हुये थे। लेखों तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा सही तरीके से किया गया था, तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ

या नहीं और इस प्रकार ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका की जाँच के बाहर रहा। साथ ही लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब का परिणाम कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम भी हो सकता हैं।

1.25 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाईयों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा बकाया लेखों के बारे में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को प्रत्येक तिमाही में सूचना दी गयी थी, तथापि कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप इन सा.क्षे.उ. के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। लेखाओं के बकायों को एक समयबद्ध तरीके से कम करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना, ने मुख्य सचिव एवं अन्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक (जून 2010) भी की थी ।

1.26 उपरोक्त वर्णित बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि:

- सरकार बकाये के समापन के अनुश्रवण हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित करे तथा प्रत्येक कम्पनी हेतु लक्ष्य निश्चित करे जिनका अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाए।
- जहाँ भी कर्मचारियों की कमी है अथवा कुशलता की कमी है, वहाँ सरकार लेखों के बनाने के कार्य को आउटसोर्स करने पर विचार कर सकती है।

अकार्यशील सा.क्षे.उ. का समापन

1.27 31 मार्च 2010 को 40 अकार्यशील सा.क्षे.उ. (कम्पनियाँ) थीं । इनमे से सात सा.क्षे.उ. में समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चूकी हैं। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यशील कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है :-

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
अकार्यशील कम्पनियों की संख्या	40	40	40	40	40

अकार्यशील सा.क्षे.उ. को बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके बने रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने वाली हैं। 2009–10 की अवधि में तीन[13] अकार्यशील सा.क्षे.उ. ने वेतन, मजदूरी, स्थापना व्यय इत्यादि पर ₹ 1.48 करोड़ व्यय किये।

1.28 अकार्यशील सा.क्षे.उ. की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं :-

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
1.	अकार्यशील सा.क्षे.उ. की कुल संख्या	40	–	40
2.	उपरोक्त (1) में से:	–	–	–
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	3[14]	–	3
(ब)	बन्द, अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	4[15]	–	4

[13] बिहार राज्य लघु उधोग निगम लिमिटेड, बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड और बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

[14] परिशिष्ट 1 का क्र.सं. स–20, 36 एवं 39 ।

[15] परिशिष्ट 1 का क्र.सं. स–14, 15, 26 एवं 29 ।

1.29 वर्ष 2009–10 के दौरान किसी कम्पनी/निगम का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 10 वर्षों से अधिक समय से समापन प्रक्रिया मे हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे अपनाना/अधिक बढावा दिया जाना चाहिए। सरकार को शेष 33 अकार्यशील सा.क्षे.उ., जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, उनके समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए। सरकार अकार्यशील कम्पनियों के समापन को त्वरित करने हेतु एक प्रकोष्ठ की स्थापना पर विचार कर सकती है।

लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.30 वर्ष 2009–10 में सात कार्यशील कम्पनियों ने अपने 15 अंकेक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से छः कम्पनियों के छः लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये। सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखों के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया हैं :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2007-08		2008-09		2009-10	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	-	-	2	1.71
2.	हानि में वृद्धि	5	3.00	2	4.31	10	16.63
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	8.56	1	10.02	1	0.15
4.	वर्गीकरण में गलतियाँ	1	5.80	2	7.87	शून्य	शून्य

1.31 वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त सभी 15 लेखों पर गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 11 लेखों[16] में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 13 उदाहरण पाये गये।

1.32 कम्पनियों के लेखो के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:-

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (2006–07)

- वर्ष 1999 मे वितरित पेशेवर कर्ज की राशि, जिसकी वसूली लाभर्थियों के पता नहीं चल पाने के कारण संदिग्ध थी, के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ के हानि तथा चालू दायित्वों एवं प्रावधानों का न्यूनप्रदर्शन।

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (1998–99)

- सेवा अभिकर्ताओं से प्राप्य राशि, जो लम्बे समय से अदत्त थी एवं जिसकी वसूली संदिग्ध थी, के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ के विविध देनदारों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

16 बिहार राज्य वित्तीय निगम (2008–09), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (1998–99), (1999–2000), (2000–01), (2001–02) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (2006–07), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (1992–93), (1993–94), (1994–95), एवं बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (1997–98) एवं (1998–99) ।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (1987–88)

- बिहार स्कूटर लिमिटेड को दिये गये अग्रिम की राशि, जिसकी वसूली वर्ष 1982–83 से इसके बंद रहने के कारण संदिग्ध है, के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के ऋणों एवं अग्रिमों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

1.33 इसी प्रकार, 2009–10 के दौरान दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने लेखे प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का लेखा, जो सीएजी द्वारा एकल लेखापरीक्षा से सम्बन्धित था, लेखापरीक्षाधीन था (30 सितम्बर 2010) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम का लेखा अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुना गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीएजी के द्वारा एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा लेखों के संधारण की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है:-

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2007-08		2008-09		2009-10	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	3	16.00	2	14.61	1	1.74
2.	हानि में वृद्धि	7	655.24	3	562.74	2	3475.34
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	2.34	2	12.08	1	7.08
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	2	4.51	3	67.67	1	2.47

1.34 सांविधिक निगमों के लेखों, जो वर्ष 2009–10 के दौरान अंतिमीकृत किये गये, पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत हैं :-

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (2007–08)

- ब.वा.श.प्र. के परित्यक्त कार्यों के मूल्य के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 7.08 करोड़ के क्रियमान पूँजीगत कार्य का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।
- लम्बे समय से लेखों में ली जा रही ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत पी.जी.सी.आई. एल. को दिये गये अग्रिम की असमायोजीत राशि के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 51.98 करोड़ के हानि का न्यूनप्रदर्शन।
- परित्यक्त कार्यों के मूल्य ₹ 5.27 करोड़ को राजस्व लेखे पर प्रभारित नहीं कि जाने के फलस्वरूप ₹ 5.27 करोड़ के हानि का न्यूनप्रदर्शन।
- ऋणों एवं अग्रिमों में आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम की ₹ 14.25 करोड़ की असमायोजित राशि सम्मिलित है, इसके फलस्वरूप ₹ 14.25 करोड़ के ऋणों एवं अग्रिमों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।
- ब.वा.श.प्र. मे कोयले की श्रेणी के अंतर के असमायोजित राशि के अप्रावधान के फलस्वरूप ₹ 7.96 करोड़ के विविध प्राप्तियों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

- राज्य सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य मे 2001–06 की अवधि के लिए वार्षिक अर्थसाहाय्य की राशि ₹ 3329.10 करोड़ सम्मिलित है, जिसका बोर्ड ने न हीं दावा किया और न हीं जिसकी राज्य सरकार द्वारा सहमति प्राप्त की गयी, जिसके फलस्वरूप ₹ 3329.10 करोड़ के राज्य सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

- ऊर्जा क्रय करने पर यू.आई. (असूचिबद्ध विनिमय) प्रभार के रूप मे देय ब्याज के अप्रावधान के फलस्वरूप, ₹ 11.34 करोड़ के चालू दायित्वों एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (2002–03)

- बिक्री कर के बकाये के भुगतान नहीं करने के कारण वाणिज्य कर विभाग द्वारा जब्त की गयी राशि, जिसकी वसूली संदिग्ध है, के अप्रावधान के फलस्वरूप, ₹ 7.22 करोड़ के सम्पत्तियों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

- दरभंगा प्रमण्डल से सम्बन्धित 31 मार्च, 2003 तक वसूलनीय राशि, जिसका कोई विवरण उपलब्ध नही है, के अप्रावधान के फलस्वरूप, कर्मचारियों को ₹ 1.15 करोड़ के अग्रिम का अधिप्रदर्शन एवं हानि का न्यूनप्रदर्शन।

बिहार राज्य वित्तीय निगम (2008–09)

- प्राप्य किराये मे पुराने विवादित मदों के प्रति ₹ 1.63 करोड़ सम्मिलित है, जिसकी वसूली संदिग्ध है तथा जिसके लिए कोई प्रावधान नही किया गया है। इसके फलस्वरूप, ₹ 1.63 करोड़ प्राप्त किराये एवं लाभ का अधिप्रदर्शन।

1.35 सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को सीएजी के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती हैं। सांविधिक अंकेक्षको द्वारा 2008–09 में नौ कम्पनियों[17] तथा 2009–10 में आठ कम्पनियों[18] के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया हैं।

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणीयों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमे अनुशंसा की गयी	परिशिष्ट–2 में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	स्कन्ध एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	04	अ–1, अ–9, अ–13, अ–18,
2.	कम्पनी के प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव	06	अ–1, अ–6, अ–8, अ–9, अ–13, अ–18
3.	अचल सम्पत्तियो से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसे परिमाणात्मक विवरण, परिस्थिति, पहचान संख्या, अधिग्रहण की तिथि, ह्रासित स्थायी सम्पतियों के मूल्य तथा उनकी स्थिति	08	अ–1, अ–6, अ–8, अ–9, अ–13, अ–15, अ–18, स–5

17 परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या अ–4 ,अ– 6, अ–8, अ–11, अ–13, अ–19, स–4, स–5 एवं स–16।
18 परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या अ–1, अ–6, अ–8, अ–9, अ–13, अ–15, अ–18 एवं स–5 ।

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.36 2009–10 के दौरान औचित्य लेखापरीक्षा में, विभिन्न सा.क्षे.उ. के प्रबन्धन को ₹ 66.93 करोड़ की वसूली के मामले प्रकट किये थे, जिनमे से ₹ 13.98 करोड़ के मामले सा.क्षे.उ. द्वारा स्वीकार किये गये। वर्ष 2009–10 में ₹ 5.11 करोड़ राशि की वसूली की गयी थी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.37 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर भारत के सीएजी द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.प्र.) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती हैं।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प.प्र. विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प.प्र. विधायिका के समक्ष नहीं रखी गयी		
			पृ.ले.प.प्र. का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	पृ.ले.प.प्र. को विधायिका के समक्ष ने रखने के कारण
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1999-2000	2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08	30.06.2004 12.03.2007 24.10.2007 20.02.2008 29.04.2008 15.01.2009 26.05.2009 15.04.2010	विधायिका के समक्ष अभी रखा जाना है।
2.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2008-09	2006-07	30.09.2008	सम्बन्धित विभाग द्वारा विधायिका के समक्ष उपस्थापित करने के लिए प्रतिवेदन की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973-74	1974-75 से 1990-91 (17) विवरण 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03	 9.6.1997 2.9.1998 2.9.1998 4.12.1998 18.4.2000 19.3.2004 19.10.2004 12.4.2005 07.10.2005 24.09.2007 26.10.2007 25.01.2010	प्रतिवेदन को विधायिका के समक्ष उपस्थापित नहीं करने का कारण सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हैं।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.38 राज्य सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना के लिए 2009–10 में कोई कदम नहीं उठाया गया था। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा.क्षे.उ. की पुनर्संरचना की जानी थी। 12 कम्पनियों/निगमों की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबंधन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया। यद्यपि इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच कम्पनियों/निगमों[19] के सम्बन्ध में किया गया है (सितम्बर, 2010)।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.39 राज्य में बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बि.ई.आर.सी.) का गठन अप्रैल 2002 में विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17(1) के अधीन विद्युत टैरिफ का विवेकीकरण, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित मसौदे पर अपनी राय देने और लाइसेन्स जारी करने के उद्देश्य से किया गया। 2009–10 के दौरान बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने दिसम्बर 2009 में बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (बी.एस.एच.पी.सी.) को दर निर्धारण के लिए तथा बगासे (खोई) एवं बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए दर निर्धारण का आदेश जारी किया। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को निजी उद्यमियों से ऊर्जा क्रय करने को निर्देशित करते हुए आदेश जारी किए गए एवं उपभोक्ता आपत्ति निवारण फोरम (सी.जी.आर.एफ.) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देश, राज्य में बिजली की आपूर्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में एवं संचरण एवं वितरण हानि को कम करने के लिए स्थायी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए।

1.40 कार्य–क्षेत्र में चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रुप में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के बीच एक समझ पत्र (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किये गये थे (सितम्बर 2001)। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक प्राप्त प्रगति का विवरण निम्नवत है:

क्रम सं0	महत्वपूर्ण कदम	मार्च 2010 तक उपलब्धि
1.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस. ई. आर. सी.)	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस. ई. आर. सी.) की स्थापना बिहार सरकार की विज्ञप्ति सं0 1284 दिनांक 15 अप्रैल 2002 द्वारा हुई है। आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए अंतिम टैरिफ आदेश 26.08.2008 को संसूचित किया गया।
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	39,015 गाँवों में से 24,645 (63.17 प्रतिशत) गाँव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं (मार्च 2010)।
3.	बोर्ड का पुनर्संगठन	बोर्ड का पुनर्संगठन के लिए बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा वित्त निगम को सलाहकार नियुक्त किया गया है एवं कार्य राज्य सरकार के स्तर से किया जा रहा है।
4.	केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अदत्त बकायों की सुरक्षा	बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के ₹ 2075.61 करोड़ के अदत्त बकायों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली गई है।

[19] बिहार राज्य बीज निगम लि0, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लि0, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि0, बिहार राज्य भंडार निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि0 ।

5.	11 के.वी. के सभी वितरण फीडरों को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करना एवं सभी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करना	सभी 16 अंचलों में उपभोक्ताओं (62.45 प्रतिशत) एवं 11 के.वी. के वितरण फीडरों (71.22 प्रतिशत) में मीटर लगाने की प्रक्रिया हो चुकी है (सितम्बर 2010)।
6.	ऊर्जा लेखापरीक्षा	ऊर्जा लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2010 तक कार्यान्वित नहीं की जा सकी है क्योंकि सभी विद्युत सम्बन्धों को मीटरीकृत करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है (सितम्बर 2010)।
7.	पारेषण एवं वितरण (पा. एवं वि.) क्षति को कम करके 15.5 प्रतिशत तक लाना	पारेषण एवं वितरण क्षति वर्ष 2007–08 में 39.06 प्रतिशत था जो वर्ष 2008–09 के दौरान घटकर 37.98 प्रतिशत हो गया।
8.	स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत प्रत्याय	बोर्ड स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत के प्रत्याय को वर्ष 2008–09 तक प्राप्त नहीं कर सका था।
9.	वितरण सूचना प्रबंधन प्रणाली	वितरण एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन एस. सी.ए.डी.ए. द्वारा किया जा रहा है। (सितम्बर 2010)
10.	न्यूनतम कृषि टैरिफ 50 पैसे प्रति इकाई	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) ने कृषि सेवाओं के लिए वर्ष 2008–09 के लिए 125.94 पैसे/इकाई की दर स्वीकृत की है।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रूप में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षर हुए एम ओ यू के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है।